

# MEERUT INSTITUTE OF TECHNOLOGY

दिनांक : 01-01-2024

## छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन हेतु आवश्यक सूचना


(शैक्षिक सत्र 2023-2024 की ऑनलाईन प्रणाली के अन्तर्गत छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के सम्बन्ध में)

(अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग  
(**SC/ST, General, OBC & Minority Caste**) के छात्र/छात्राओं के लिये)

अनुसूचित जाति/जनजाति, सामान्य जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष (**First, Second, Third & Fourth year**) के सभी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पात्र (**Eligible**) छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन-पत्र राज्य सरकार द्वारा संचालित वेबसाइट <http://scholarship.up.gov.in> पर छात्र/छात्राओं द्वारा 22-09-2023 से भरे जा रहे हैं। ऐसे सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (**SC/ST**) के छात्र/छात्रायें जिनके माता पिता एवम् अभिभावक की कुल वार्षिक आय रुपये 2,50,000/- (रुपये दो लाख पचास हजार) तक एवं अन्य जातियों (सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) के छात्र/छात्राओं के माता पिता एवम् अभिभावक की कुल वार्षिक आय रुपये 2,00,000/- (रुपये दो लाख) तक है, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

सभी पात्र (**Eligible**) छात्र/छात्रायें अपने आवेदन-पत्र वेबसाइट <http://scholarship.up.gov.in> पर ऑनलाईन भर लें। ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरने एवम् आवेदन पत्र का **Final Print Out** लेने के उपरान्त आवेदन पत्र के साथ सूची में दिये गये आवश्यक दस्तावेज क्रमवार संलग्न कर अगले 03 दिनों के अन्दर संस्थान में दो प्रतियों (**Two Sets**) में जमा करा दें। ऑनलाईन छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 05-01-2024 है। दिनांक 05-01-2024 के बाद किसी भी छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन-पत्र (**Scholarship/Tuition Fees Form**) स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- सभी छात्रों के आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं सामान्य निवास प्रमाण-पत्र [bor.up.nic.in](http://bor.up.nic.in) एवं [edistrict.up.gov.in](http://edistrict.up.gov.in) या प्रमाण-पत्रों में अंकित वेबसाइट पर उपलब्ध होने चाहिये। यदि किसी छात्र का आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं सामान्य निवास प्रमाण उपरोक्त **website** पर उपलब्ध नहीं होगा तो ऐसे छात्र/छात्राओं के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं के लिए है। अन्य राज्यों के छात्र/छात्रायें इस योजना में आवेदन न करें।

  
(डा० सोमेन्द्र शुक्ला)  
निदेशक

**Copy to:**

- Dr. Himanshu Sharma, Principal (MIT PC)
- Dr. Neeraj Kant Sharma, Principal (Dept. of Pharmacy MIT)
- Mr. Gaurav Sharma (Dean 1<sup>st</sup> Year)
- All HODs
- Warden Boys Hostel
- Warden Girls Hostel
- All Notice Boards